भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2202

दिनांक 12 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

.....

चूरू जिले में भूजल निष्कर्षण

2202. श्री राहुल कस्वां:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा प्रकाशित नवीनतम आकलन में राष्ट्रीय स्तर पर अतिदोहित और गंभीर रूप से दबावग्रस्त भू-जल खंडों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजस्थान में नवीनतम आकलन में चिन्हित ऐसे भू-जल खंडों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या जिला-वार आंकड़े यह दर्शाते हैं कि चूरू जिले में स्थित भू-जल खंडों में भू-जल का दोहन पुनर्भरण स्तर से अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या अटल भूजल योजना और भू-जल पुनर्भरण कार्यक्रम जैसी योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय बजट आवंटन अभिलेखित भू-जल दबाव वर्गीकरण के अनुसार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा राज्य सरकारों के समन्वय से देश के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन वार्षिक रूप से किया जा रहा है। वर्ष 2017 और 2025 के आंकड़ों की तुलना करने पर यह पाया गया है कि देश की समग्र भूजल स्थिति में 'सुरक्षित' आकलन इकाइयों (एसएयू) (जिसमे सामान्यतः ब्लॉक/तालुक/तहसील या पहाड़ी क्षेत्रों में घाटियां शामिल हैं) के प्रतिशत में निरंतर सुधार हुआ है, जो 62.6% से बढ़कर 73.14% और 'अति-दोहित' इकाइयां 17.2% से घटकर 10.8% हो गया हैं। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान 'गंभीर' इकाइयों की संख्या भी 4.5 प्रतिशत से घटकर 2.97 प्रतिशत हो गई है।

(ख): वर्ष 2025 की नवीनतम आकलन रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान राज्य की कुल 302 आकलन इकाइयों (ब्लॉकों) में से 213 (70.53%) इकाइयों को 'अतिदोहित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 23 (7.62%) आकलन इकाइयों को 'गंभीर' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट, 2025 के अनुसार राजस्थान राज्य में अतिदोहित और गंभीर ब्लॉकों का जिला-वार विवरण निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है।

https://cgwb.gov.in/cgwbpnm/download/1741#page=242

(ग): वर्ष 2025 के आकलन के अनुसार, चूरू जिले में 07 आकलन इकाइयों (ब्लॉकों) में से 05 इकाइयों को अतिदोहित (जहां वार्षिक भूजल निष्कर्षण पुनर्भरण से अधिक है), 01 इकाई को सुरक्षित और 01 इकाई को लवणीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(घ): जल राज्य का विषय है। भूजल संसाधनों सहित जल का सतत विकास और प्रबंधन का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन प्रदान किया जाता है।

गतिशील भूजल संसाधन आकलन के आधार पर ब्लॉकों के वर्गीकरण के माध्यम से सरकार की विभिन्न भूजल संरक्षण और प्रबंधन योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे जल शक्ति अभियान (जेएसए), जल संचय जनभागीदारी (जेएसजेबी), अटल भूजल योजना, मनरेगा आदि के तहत अतिदोहित, गंभीर और अर्ध-गंभीर (ओसीएस) क्षेत्रों में, पुनर्भरण और सूक्ष्म-सिंचाई जैसे अधिक मांग और आपूर्ति उपायों को प्राथमिकता देते हुए, लक्षित कारवाई की जा सकती हैं।

यह उल्लेखनीय है कि सितंबर, 2025 के दौरान, 'जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल' के तहत, देश के अति-दोहित (ओई) और महत्वपूर्ण ब्लॉकों में जल संरक्षण कार्यों के लिए आवंटित मनरेगा निधि का न्यूनतम 65% और अर्ध-गंभीर ब्लॉकों में 40% व्यय करने का निर्णय लिया गया है।

*****